प्रेस नोट
सराहनीय कार्य, जनपद गोण्डा
दिनांक - 02.04.2026

गोण्डा पुलिस के साइबर सेल द्वारा सराहनीय कार्य कर साइबर अपराध के गैंग/हॉटस्पॉट पर कार्यवाही करते हुए 07 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले साइबर अपराध के संगठित अन्तर्राज्यीय गिरोह का खुलासा, 02 शातिर साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 05 अदद एंड्रॉयड/एप्पल/की-पैड फोन बरामद करते हुए साइबर फ्रॉड में रिपोर्ट किये गये लगभग 7 करोड़ 80 लाख की रकम में से लगभग 01 करोड़ 11 लाख रुपये कराये गये लीयन/होल्ड -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में साइबर अपराध से सम्बन्धित घटनाओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये सख्त निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम श्री मनोज कुमार रावत व क्षेत्राधिकारी नगर/अपराध श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी साइबर सेल श्री संजय कुमार गुप्ता के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए संगठित तरीके से साइबर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया गया । जिसमें इस गिरोह द्वारा फर्जी मोबाइल सिमों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक व तेलंगाना के सैकड़ों बेरोजगार व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का इश्तेहार/विज्ञापन देकर रजिस्ट्रेशन/साक्षात्कार/ट्रेनिंग व ज्वाइनिंग के नाम पर लाखों रुपए म्यूल (किराए) के खातों में मंगवा कर साइबर फ्राड किया जाता था । अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों जिनमें- 1. सुधीर कुमार गुप्ता उर्फ अतुल गुप्ता व 2. बृजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

समन्वय पोर्टल (प्रतिबिम्ब पोर्टल) पर प्रदर्शित होने वाले संदिग्ध मोबाइल नम्बरों के जांच के क्रम में प्रकाश में आया कि फरवरी 2026 में छत्तीसगढ निवासी एक पीड़ित ललित झरिया द्वारा स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का इश्तेहार/विज्ञापन देखकर उसमें दिये गये नंबर पर संपर्क किया गया और रजिस्ट्रेशन/साक्षात्कार/ट्रेनिंग व ज्वाइनिंग के नाम पर उनके साथ साइबर ठगी की गयी । उनकी ऑनलाइन शिकायत के अवलोकन से 03 मोबाइल नंबर और प्राप्त हुए जिनकी जाँच में सिम धारकों का नाम पता गैर जनपद/राज्यों का पाया गया । फ्रॉड के समय नंबरों की लोकेशन जनपद गोण्डा में पाई गई थी । वर्तमान में ये सभी नंबर निष्क्रिय हो चुके थे । उपरोक्त मोबाइल नंबरों से अभियुक्तों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक व तेलंगाना) के लोगों के साथ पिछले लगभग डेढ़ साल से नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर फ्रॉड किया जा रहा था । इन मोबाइल नंबरों और प्रयोग किये गये मोबाइल फोन व बैंक खातों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में साइबर फ्रॉड की 25 से भी अधिक ऑनलाइन शिकायते दर्ज थीं । जिस पर साइबर सेल गोण्डा की टीम द्वारा संदिग्ध मोबाइल नम्बरों के तकनीकी अन्वेषण करते हुए लिंकेज की जाँच की गई एवं लिंक IMEI, मैनुअल व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 01.04.2026 को साइबर सेल गोण्डा व थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा सोनी गुमटी से बूढादेवर जाने वाले मार्ग पर रेल पटरी के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त 03 अदद एण्ड्रायड फोन, 01 अदद आईफोन-17 व 01 अदद की-पैड फोन बरामद करते हुए साइबर फ्रॉड के इस अन्तर्राज्यीय गिरोह का अनावरण किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

पूछताछ का विवरण (Modus Operandi)-

पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि वे संगठित तरीके से साइबर ठगी करने हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक व तेलंगाना के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों के आस पास स्वास्थ्य विभाग में अच्छे वेतन पर उन्ही के जिलों में नौकरी देने का इस्तेहार चिपकवाया जाता था । नौकरी के लालच में लोग दिये गये फर्जी नंबर पर फोन करते थे जिसमें गिरोह के सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रेशन/साक्षात्कार/ट्रेनिंग व ज्वाइनिंग के नाम पर पीड़ित व्यक्तियों को फर्जी एवं कूटरचित ट्रेनिंग लेटर / ज्वाइनिंग लेटर प्रदान कर म्यूल अकाउण्ट्स में उनसे रुपए ट्रान्सफर करवाते थे । इन खातों के खाताधारकों को 20%

तक कमीशन देकर शेष रुपए उनके द्वारा एटीएम से रुपए निकलवाकर नकद प्राप्त कर लेते थे। गिरोह के सदस्यों द्वारा फर्जी पहचान पत्रों के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतकर अतिरिक्त खाते व सिम की व्यवस्था करते थे।

ठगी में प्रयोग किये गये खातों का विवरण-

अब तक की जाँच में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक व तेलंगाना की 25 से अधिक ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं जिनमें लगभग 51 बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी में किया जाना पाया गया है। इन ऑनलाइन शिकायतों में लगभग 7 करोड़ 80 लाख की धनराशि रिपोर्ट की गई है। जिसमें अब तक उक्त खातों में लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए की धनराशि को लीयन/होल्ड कराया जा चुका है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 0288/2026 धारा 318 (4), 319 (2), 336 (3), 338 BNS व 66 D IT Act थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सुधीर कुमार गुप्ता उर्फ अतुल गुप्ता पुत्र द्वारिका प्रसाद गुप्ता नि0 ग्राम सोनी कपूर देवरिया चूड़ामणि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
2. बृजेश मिश्रा पुत्र हरिशंकर मिश्रा नि0 माधवपुरम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

बरामदगी-

1. 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन
2. 01 अदद आईफोन 17
3. 01 अदद कीपैड फोन (नोकिया)

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

01. निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता - प्रभारी साइबर सेल
02. उ0नि0 उदित वर्मा - थाना कोतवाली नगर
03. आरक्षी हरिओम टण्डन -साइबर सेल
04. आरक्षी मनीष कुशवाहा - साइबर सेल
05. आरक्षी आलोक सविता - साइबर सेल
06. आरक्षी राजेन्द्र कुमार - साइबर सेल
07. आरक्षी शिवम मिश्रा - साइबर सेल
08. आरक्षी पंकज कुमार - थाना कोतवाली नगर

नोटः- पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को रु0 25,000/- के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु सुझाव-

साइबर अपराध के प्रति जागरुगता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल 1930 पर आनलाइन शिकायत करे अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।
सतर्क रहे, जागरुक रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.04.2026

थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा चोरी करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी के आभूषण व रुपये 310/- नगद बरामद -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक द्वाच्या के पर्यवेक्षण में थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त शिवकुमार गौतम उर्फ गड्ढे पुत्र बच्चू गौतम को बाबाकुटी चौराहे से उर्दी गोण्डा को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 जोड़ी पायल सफेद धातु की, एक जोड़ी बच्चों के कंगन सफेद धातु, एक अंगूठी पीली धातु एवं कुल रु0 310/- नगद बरामद किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.04.2026 को वादी श्री किशनचन्द्र पुत्र तिलकराम तिवारी गांव गोबरेपुरवा मौजा पिपरीमाझा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गई कि उनकी भाभी जो अम्बाला में अपने बच्चों के साथ रहती हैं, अपने घर की देखरेख हेतु चाबी वादी को देकर गई थी, दिनांक 01.04.2026 को सुबह घर खोलकर देखा तो कमरे का दरवाजा तोड़कर अन्दर से आभूषण व 2000/- रुपए किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए गये थे। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 02.04.2026 को थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण व विवेचना के दौरान आरोपी अभियुक्त शिवकुमार गौतम उर्फ गड्ढे पुत्र बच्चू गौतम को बाबाकुटी चौराहे से उर्दी गोण्डा को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 जोड़ी पायल सफेद धातु की, एक जोड़ी बच्चों के कंगन सफेद धातु, एक अंगूठी पीली धातु एवं कुल रु0 310/- नगद बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- शिवकुमार गौतम उर्फ गड्ढे पुत्र बच्चू गौतम निवासी गडरियनपुरवा मौजा पिपरीमांझा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 72/26 मे अंतर्गत धारा 305(A),331 (4),317(2) बीएनएस थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. एक जोडी पायल सफेद धातु की,
02. एक जोडी बच्चों के कंगन सफेद धातु,

03. एक अंगूठी पीली धातु
02. रुपये 310/- नगद बरामद

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 शुभम दुबे मय हमराह
02. आरक्षी आशीष कुमार कश्यप
03. आरक्षी मोहित सिंह
04. आरक्षी अभय वर्मा

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
जनपद – गोण्डा
दिनांक – 02.04.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के साथ की गई गोष्ठी-

लंबित विवेचनाओं, शिकायत प्रार्थना पत्रों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिनांक 02.04.2026 को कैम्प कार्यालय गोण्डा में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों (अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी/पश्चिमी एवं समस्त क्षेत्राधिकारी) के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान जनपद में कानून-व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, विवेचनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के पास लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रारंभिक जांचों एवं विभागीय कार्यवाहियों, विशेषकर नियम 14(1) के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त शासन, डीजी कार्यालय, जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, लोक शिकायत एवं अन्य आयोगों से प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्रों की समीक्षा कर सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों, विशेषकर नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने तथा संबंधित मामलों में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए गए।

सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत Zero Fatality District (ZFD) अभियान के अंतर्गत की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही, जागरूकता अभियान एवं चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता, टॉप-05 अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के सत्यापन/निगरानी अभियान को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी सहित जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.04.2026, मॉनीटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज मृत्यु के 04 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10-10 वर्ष के कारावास व रुपये 30,000- 30,000 के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री कौशल कुमार सिंह पुत्र नि0 ग्राम रांगी थाना तरबगंज गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर को सूचना दी गई कि करीब 02 वर्ष पूर्व अपनी लड़की कोमल की शादी हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह नि0 बहुवन मदार माझा थआना परसपुर जनपद गोण्डा के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही लड़की के पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दिनाकं 12.03.2024 को फोन पर सूचना मिली कि उनकी लड़की कहीं चली गई है, जब मौके पर जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि को ससुरालजनों द्वारा दहेज की माँग को लेकर उसे मार दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 88/2024, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 24.05.2024 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार (तृतीय) महोदय द्वारा थाना परसपुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 शिवपाल सिंह व थाना परसपुर के पैरोकार कां0 शशिकांत की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 02.04.2026 को दोषी अभियुक्त – 1. हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह, 2. रामकेवल पुत्र सिद्धमान, 3. पवन कुमार सिंह पुत्र रामकेवल व 4. रीता सिंह पत्नी पवन कुमार सिंह नि0गण ग्राम रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को 10-10 वर्ष के कारावास व रु0 30,000-30,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

1. हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह,
2. रामकेवल पुत्र सिद्धमान,
3. पवन कुमार सिंह पुत्र रामकेवल
4. रीता सिंह पत्नी पवन कुमार सिंह नि0 गण ग्राम रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 88/2024, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।